

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

मुन्नी देवी पत्नी स्व० श्रीराम वनाम 1. सुपेश कुमार पुत्र श्रीराम जाति

जाति खेमका अग्रवाल वि० दावा बाबत :- अनुपशष्ट 88 राशिय

मुकदमा नम्बर :- 46/15

निर्णय दिनांक :- 12.11.21

वादी की ओर से वकील श्री सुजय गर्ग की व प्रतिवादी सं० की ओर से वकील श्रीराम गोस्वामी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 12.11.21 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि

अनुपशष्ट अनुपशष्ट वाद वादीपक्ष जीहि डिपा जास्ट लैडी मौजा अनुपशष्ट के पट्टा पत्र के खसरा सं० 57 ही 13.810 हे० खसरा सं० 942 ही 5.160 हे० कुल 18.970 हे० में श्रीराम के नाम पट्टा 2.581 हे० राजस्व रिजॉर्ड में दर्ज है उसमें श्रीराम पत्नी तिरुमीचन्द का नाम उत्तमपत्र डिपा जास्ट वादीपक्ष मुन्नी देवी के खातेदार अरु अरु घोषित किया जाता है यदि भूमि वैड रदन है तो रदन मुक्त होने पर उपर्युक्त उक्त राजस्व रिजॉर्ड में अंशव अरु रिजॉर्ड उक्त डिपा जायें।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 12.11.21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा, जिला संगरूर, पंजाब
2021
अनुपशष्ट